न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं02,उन्नाव।

परिवाद संख्याः–526/2020

CNR No:-UPUN010038372020

श्रीमती मन्जू देवी बनाम कल्लू उर्फ उमानाथ आदि

दिनॉकः– 17–11–2021

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत।

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि विपक्षी कल्लू उर्फ उमानाथ ने सड़क के किनारे का खेत बताकर रमावती का खेत संख्या 372 का बैनामा परिवादिनी के पक्ष में मु0 2,50,000/–रूपये में कराया था किन्तु उक्त खेत भादिन की झील के अन्दर का निकला। परिवादिनी द्वारा विरोध करने पर कल्लू ने कहा कि आपका खेत बिकवा दूॅगा, जब तक मेरा खेत संख्या 178/0.4820 स्थित ग्राम बछौरा पर कब्जा करके फसल उत्पन्न करे और इस सम्बन्ध में सहमति पत्र भी उमानाथ ने दिनॉक 7–12–2019 को तहसील पुरवा में आकर लिखवाकर नोटरी करा दिया। दिनॉक 11–12–19 को कल्लू उर्फ उमानाथ ने अपने लड़के अजीत कुमार को परिवादिनी के घर शाम 7:00 बजे भेजा और कहा कि प्रार्थिनी का खेत खरीदने वाले आये है जिससे वह सहमति पत्र की कापी लेकर आ जावे। परिवादिनी सहमति पत्र लेकर गयी जहॉ पर अजीत कुमार ने जाति सूचक गालियॉ देते हुए सहमति पत्र की छाया प्रति छीन लिया। इतने में उमानाथ उर्फ कल्लू , अमर किशोर, अनुज आ गये जिन्होने परिवादिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए सड़क के किनारे खेत में घ ासीटते ले गये जिससे प्रार्थिनी के शरीर पर अनेक चोटे आयी। परिवादिनी ने थाना पुरवा में प्रार्थना पत्र दिया जिसके विरोध में विपक्षीगण ने जान से मारने की धमकी दी।

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्वयं परिवादिनी मन्जू देवी व धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 सुशील कुमार परीक्षित हुए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, छाया प्रति बैनामा, नोटरी सहमति पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, कार्बन प्रति प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक दाखिल किये गये है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादिनी ने सशपथ बयान किया है कि विपक्षी कल्लू उर्फ उमानाथ ने सड़क के किनारे का खेत बताकर रमावती का खेत संख्या 372 का बैनामा परिवादिनी के पक्ष में मु0 2,50,000/–रूपये में कराया था किन्तु उक्त खेत भादिन की झील के अन्दर का निकला। परिवादिनी द्वारा विरोध करने पर उमानाथ ने दिनॉक 7–12–2019 को तहसील पुरवा में आकर सहमति पत्र लिखवाकर नोटरी करा दिया। दिनॉक 11–12–19 को कल्लू उर्फ उमानाथ ने अपने लड़के अजीत

कुमार को परिवादिनी के घर शाम 7:00 बजे भेजा और कहा कि प्रार्थिनी का खेत खरीदने वाले आये है। वह सहमति पत्र की कापी लेकर आ जावे। परिवादिनी सहमति पत्र लेकर गयी जहॉ पर अजीत कुमार ने जाति सूचक गालियॉ देते हुए सहमति पत्र की छाया प्रति छीन लिया। इतने में उमानाथ उर्फ कल्लू , अमर किशोर, अनुज आ गयें। चारो लोगो ने परिवादिनी का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए सड़क के किनारे खेत में घसीटते ले गये और जान से मारने की धमकी दी।

धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी0डब्लू01 सुशील कुमार परीक्षित हुए है जिन्होने भी परिवाद पत्र व परिवादिनी के बयानो का समर्थन किया है।

इस प्रकार विपक्षीगण कल्लू उर्फ उमानाथ, अमर किशोर, अनुज व अजीत कुमार के द्वारा परिवादिनी श्रीमती मन्जू देवी जो कि अनुसूचित जाति की है, को जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियॉ देते व जान से मारने की धमकी देते हुए उसका हाथ पकड़कर व कमर में हाथ डालकर उसके साथ अश्लील हरकते करते हुए उसकी लज्जा भंग करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अतः विपक्षीगण कल्लू उर्फ उमानाथ, अमर किशोर, अनुज व अजीत कुमार धारा 354,504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द,ध,ब(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत, अपराध में तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण कल्लू उर्फ उमानाथ, अमर किशोर, अनुज व अजीत कुमार को धारा 354, 504, 506, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)द,ध,ब(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध में तलब किया जाता है। परिवादिनी तलबी हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे, पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनॉक 14–12–2021 को पेश हो।

(आनन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं02,उन्नाव।